When the total river discharge is in excess of 10900 cusecs the Haryana and the Uttar Pradesh will have the right to utilise the excess over 10900 cusecs in the ratio 2 : 1.

(d) Besides Haryana and U.P. the protected and unprotected utilisation of Yamuna waters by Rajasthan, H.P., and Delhi are 0.109 BCM, 0.345 BCM and 0.645 BCM respectively subject to availability of water in the river.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु धनराशि

@3563. श्री श्रीमती सत्या बहिन :
श्री आनन्द प्रकाश गौतम :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशी को कतिपय अन्य शीर्षों के अधीन व्यय कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किये हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंग्कबालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए जाएंगे ।

Setting up Commission for Preparing the List of OBCs

3564. SHRI RATNA BHADUR RAI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government had asked the State Governments to set up Commissions for preparing the list of O.B.C.s ;

(b) if so, how many States have set up such Commissions ; and

(c) whether they have completed the work of preparing the lists of O.B.Cs, if so, details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) Pursuant to the judgement of the Supreme Court in Mandal Case, the Ministry of Welfare had advised the State Governments and Union Territory Administrations of those States/UTs which did not have notified lists of OBCs, to identify and notify the lists of OBCs so that the benefit of reservation in Civil Services and Posts under Government of India could be extended to them. It is upto the State Governments/Union Territory Administrations to adopt their own methodology of identifying the OBCs in accordance with the directions of the Supreme Court.

(b) After the judgement of the Supreme Court on 16th November, 1992, the following State Government/Union Territories have set up Commissions/Committees to prepare the list of OBCs :

States :

1. Jammu & Kashmir—commission
2. Manipur—Committee
3. Maghalaya—work entrusted to Law Commission
4. Orissa—Commission
5. West Bengal—Committee

Union Territories :

1. Andaman & Nicobar—Committee Islands
2. Chandigarh—Committee
3. Delhi— Work entrusted to Backward Classes Commission
4. Pondicherry—Work entrusted to Backward Class Committee

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 2037, दिनांक 8 मार्च 1994 से स्थानांतरित ।

(c) The State Government of Orissa have notified the list of OBCs on the basis of Report of Das Commission on 10th September, 1993.

The Government of Sikkim have also identified the OBCs but have not as yet notified the same.

The State Government of Rajasthan and the UT Administrations of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu have notified the list of OBCs on the basis of the Mandal Commission Report.

National Minorities Development Corporation

3565. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL : Will the Minister of WELFARE be pleased to refer to the answer to Starred Question 164 given in the Rajya Sabha on 5th March, 1993 and Unstarred Question 1805 on 4th March, 1994, and State :

(a) by what time, the announcement made by the Prime Minister regarding the Establishment of National Minorities Development Corporation with a capital of Rs. 500 crores is likely to be given final shape ; and

(b) what is the likely structure and working plan of the corporation under reference ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) The National Minorities Development and Finance Corporation will become operational during 1994-95.

(b) The matter is under consideration.

मंत्रालयों में आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास सेलों का खोला जाना

3566. **श्री जगन्नाथ सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जहां आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास सेल खोले जा चुके हैं ; और

(ख) भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभागों में ये सेल कब तक खोल दिये जायेंगे और ये सेल राज्यों के महत्वपूर्ण (नोडल) विभागों से कब तक सम्पर्क कर सकेंगे ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के वी० तंगकाबालू) : (क) और (ख) सूचना केन्द्रीय मंत्रालयों से एकत्र की जा रही है ।

आदिवासी उप-आयोजना और विशेष घटक योजना

3567. **श्री जगन्नाथ सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आदिवासी उप-आयोजना और विशेष घटक योजना तैयार की है :

(ख) आदिवासी उप-आयोजना और विशेष घटक योजना के अंतर्गत राज्य वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

(ग) मध्य प्रदेश के लिए आवंटित धनराशी का ब्यौरा क्या है ;

(घ) आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मध्य प्रदेश को विभागवार जारी की गई धनराशी का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए आठवें पंचवर्षीय योजना के लिए आदिवासी उप-आयोजना और विशेष घटक योजना तैयार की है ; और

(च) वर्ष 1993-94 के लिए मध्य-प्रदेश के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०वी० तंगकाबालू:) (क) से (च) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा मध्य प्रदेश सरकार से सूचनाएं मांगी गई हैं ।